



सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

**राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) अनुसूचित
जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर
स्कीमों के लिए खुला हुआ है।**



असम, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पंजाब (केवल मैट्रिकपूर्व के लिए), सिक्किम, क्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड जैसे एनएसपी में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं।

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पात्र छात्र अपने संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	पात्रता-राशि
घटक-I	
● अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित छात्र	● शैक्षणिक भत्ता 3500 रुपए से 7000 रुपए प्रति वर्ष
● माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए	● दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 10% भत्ता
● मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र	

घटक-II

● ऐसे छात्र जिनके माता-पिता / अभिभावक सफाई से संबंधित कार्यों में लगे हैं और जिन्हें स्वारथ्य संबंधी खतरों की आशंका है।	● शैक्षणिक भत्ता 3500 रुपए से 8000 रुपए प्रति वर्ष
● कोई आय सीमा का मानदण्ड नहीं है।	● दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 10% भत्ता
● ऐसे छात्र जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में पढ़ रहे हों।	

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

पात्रता	पात्रता-राशि
● माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए	● अनिवार्य अप्रतिदेय (नॉन रिफडेबल) शुल्क (टचूशन फीस सहित)
● मान्यता प्राप्त विद्यालयों / कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र	● शैक्षणिक भत्ता 2500 रुपए से 13500 रुपए प्रति वर्ष
● कक्षा 11 से आगे सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम	● दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 10% भत्ता

- छात्र के पास वैध मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- योग्य छात्र नीचे दिए गए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करें: <https://scholarships.gov.in/>



अधिक जानकारी के लिए व्हायर कोड स्कैन करें